रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26092025-266445
CG-DL-E-26092025-266445

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4261] नई दिल्ली, शुक्रवार , सितम्बर 26, 2025/ आश्विन 4, 1947
No. 4261] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 26, 2025/ASVINA 4, 1947

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

का.आ. 4381(अ).- जबकि, केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 30.03.2025 की अधिसूचना का.आ. 1536 (अ) और दिनांक 01.04.2025 की अधिसूचना का.आ. 1540 (अ) के तहत नागालैंड राज्य के 9 जिलों एवं 5 अन्य जिलों के 21 पुलिस थाना क्षेत्रों को 01.04.2025 से छ: माह की अवधि तक 'अशांत क्षेत्र' घोषित किया था।

और जबकि, नागालैंड राज्य में कानून और व्यवस्था की आगे और समीक्षा की गई है।

अब, इसलिए, नागालैंड राज्य में दिमापुर, निउलैंड, चुमुकेदिमा, मोन, किफिरे, नोकलाक, फेक, पेरेन और मेलुरी जिलों और i) कोहिमा जिले में खुजामा, कोहिमा-उत्तर, कोहिमा-दक्षिण, जुबजा और केजोचा पुलिस थाने; ii) मोकोकचुंग जिले में मांगकोलेंबा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगचेम और अनाकी 'सी' पुलिस थाने; iii) लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस थाना; और iv) वोखा जिले में भंडारी, चांमपांग और रालान पुलिस थाने; और (v) जुनहेबोटो जिले में घटासी, पुघोबोटो, सताखा, सुरूहुतो, जुनहेबोटो और अघुनाटो पुलिस थाने, के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों को सशस्त्र बल

(विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत दिनांक 01.10.2025 से छः माह तक, यदि इस घोषणा को इससे पहले वापस न लिया जाए, 'अशांत क्षेत्र' के रूप में घोषित किया जाता है।

[फा.सं.7/10/2003-एन.ई.-I]
राजीव कुमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th September, 2025

S.O. 4381(E).— Whereas, the Central Government in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared 9 districts and 21 Police Stations in 5 other districts of the State of Nagaland as 'disturbed area' for a period of six months with effect from 01.04.2025 vide Notification S.O.1536 (E) dated 30.03.2025 and Notification S.O.1540 (E) dated 01.04.2025.

And whereas, a further review of the law and order situation in the state of Nagaland has been undertaken.

Now, therefore, Dimapur, Niuland, Chumoukedima, Mon, Kiphire, Noklak, Phek, Peren and Meluri districts in Nagaland and the areas in Nagaland falling within the jurisdiction of i) Khuzama, Kohima North, Kohima South, Zubza and Kezocha police stations in Kohima District;ii) Mangkolemba, Mokokchung-I, Longtho, Tuli, Longchem and Anaki 'C' police stations in Mokokchung District; iii) Yanglok police station in Longleng District; iv) Bhandari, Champang and Ralan police stations in Wokha District; and v) Ghatashi, Pughoboto, Satakha, Suruhuto, Zunheboto and Aghunato police stations in Zunheboto District, are declared as 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 for a period of six months with effect from 01.10.2025, unless withdrawn earlier.

[F. No.7/10/2003-NE.I]
RAJEEV KUMAR, Jt.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.09.26 15:52:21 +05'30'